राष्ट्रीय संघर्ष
22–26 नवम्बर 2010

संसद घेराव
जंतर मंतर, नयी दिल्ली

यूपीए सरकार से हमारी मांग है कि :

1. प्रस्तावित भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक एवं पुनर्वास व पुनर्स्थापन विधेयक को मौजूदा स्वरूप में संसद में पारित न करे। यूपीए सरकार ने इसे 14वीं लोकसभा के अंत में एवं मॉनसून सत्र के अंतिम दिन बहुत ही गुपचुप तरीके से एवं बगैर चर्चा एवं पर्याप्त जानकारी के बगैर ही पारित कराने का प्रयास किया। हम ऐसे किसी भी अलोकतांत्रिक तरीके का जबरदस्त विरोध करते हैं।
2. **निम्न को रोका जाएः**
   क. भूमि, जल, जंगल, नदियों एवं समुद्रतटों से लोगों के जबरन विस्थापन एवं बेदखली को तुरंत रोका जाए।
   ख. ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में लोगों को उनके आवासों से उनकी पूर्व सहमति एवं किसी स्वीकार्य पुनर्वास के बगैर विस्थापन को रोका जाए
3. भूमि अधिग्रहण कानून को **रद्द किया जाए** एवं व्यापक विकास नियोजन पर राष्ट्रीय कानून लागू किया जाए जिसमें न्यूनतम विस्थापन के साथ न्यापूर्ण व निष्पक्ष पुनर्वास का प्रावधान हो एवं उसमें न्यूनतम विस्थापन, न्यायपूर्ण पुनर्वास एवं सविधान के अनुच्छेद 243, पेसा 1996 एवं वनाधिकार अधिनियम–2006 पर आधारित विकेन्द्रित विकास नियेजन का सिद्धांत लागू हो। इसमें ग्रामीण विकास पर संसदीय स्थायी समिति (2007–08) प्रगतिशील सुझावों को शामिल किया जाए।
4. यह **सुनिश्चित किया जाए** कि शहरी गरीब जो कि असुरक्षित मजदूर हैं, उन्हें शहरी जमीनों पर कड़े परिसीमन सहित आजिविका से सम्बन्धित जायज भूमि एवं आवास के आधिकार मिले। साथ ही बिल्डरों– राजनीतिज्ञों– अफसरशाही के गठजोड़ से विस्थापन को रोका जाए। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों के लिए सरकार एवं सहकारी व्यवस्था के माध्यम से सस्ते मकान उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।
5. **निम्न को क्रियान्वित किया जाए**
   क. **पेसा अधिनियम 1996** : आदिवासी समुदायों के स्वतंत्र, पूर्व एवं जानकारी युक्त सहमति के सिद्धांत का ध्यानपूर्वक पालन करते हुए एवं इसे अन्य ग्रामसभाओं में विस्तारित करते हुए किसी भी सार्वजनिक या निजी विकास योजना या परियोजना के नियोजन से पहले क्रियान्वित किया जाए, जिसमें समुदाय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत संसाधनों के इस्तेमाल एवं बदलाव शामिल हों।
   ख. **वन अधिकार अधिनियम, 2006** : देश के समस्त वनक्षेत्रों में क्रियान्वित किया जाए एवं वन क्षेत्र के अंतर्गत भूमि उपयोग में कोई बदलाव एवं भूमि अधिग्रहण वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत ही होना चाहिए
6. आजादी के बाद से अब तक सभी भूमि अधिग्रहण, हो चुके विस्थापन, एवं हो चुके पुनर्वास पर **श्वेत पत्र** जारी किया जाए। श्वेत पत्र में ये विवरण भी शामिल होना चाहिए कि कितना जमीन इस्तेमाल हुआ, कितना नहीं हुआ, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहित हुए किंतु अब तक बीमार उद्योगों एवं अन्य ढांचागत परियोजनाओं के पास ही है।
7. हरेक परियोजनाओं, लोगों व प्राकृतिक संसाधनों पर आजीविका के तौर पर उनके प्रभावों व लागत व लाभों के सभी विवरणों व दस्तावेजों को सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत **सार्वजनिक किया जाए**।
8. केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा विभिन्न निजी एवं सार्वजनिक कंपनियों एवं अन्य के साथ हस्ताक्षर हुए उन सहमति पत्रों को **जाहिर किया जाए** जिनमें भूमि अधिग्रहण की जरूरत हो एवं खासकर प्रभावित लोगों के साथ सार्वजनिक विमर्श हुए हों।
9. यह **सुनिश्चित किया जाए** कि सभी क्षेत्रों में सभी प्रभावित लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत घोषित एवं विकास नियोजन अधिनियम के अनुसार समुदायों को अंतिम नियोजन के अधिकार के अवसर रखते हुए न्यूनतम एवं न्यायपूर्ण पुनर्वास किया जाए।

संघर्ष की ओर से,
जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, राष्ट्रीय वन–जन श्रमजीवी मंच, राष्ट्रीय घरेलू कामगार यूनियन, राष्ट्रीय साइकिल चालक यूनियन, सेज विरोधी मंच, राष्ट्रीय हॉकर्स फेडेरेशन, नर्मदा बचाओ आंदोलन, घर बचाओ घर बनाओ आंदोलन, कैमूर क्षेत्र महिला मजदूर किसान संघर्ष समिति, कृषक मुक्ति संग्राम समिति, किसान संघर्ष समिति, हिम नीति अभियान, नदी घाटी मोर्चा, आदिवासी मूलनिवासी अस्तित्व रक्षा मंच, जन संघर्ष वाहिनी, जय युवक क्रांति दल, माटू जन संगठन, मच्छीमार अधिकार संघर्ष समिति, रेणुका बांध संघर्ष समिति, बिरसा मुंडा भू–अधिकार मंच, पेन्नुरूईमाई ईयक्कम, पोस्को प्रतिरोध संग्राम समति, वनग्राम एवं भू अधिकार मंच, थारू आदिवासी महिला मजदूर किसान मंच, तराई क्षेत्र महिला मजदूर किसान मंच, पाठा दलित भू अधिकार मंच

+ ***संघर्ष*** सामाजिक जन आंदोलनों एवंज न संगठनों की एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसमें नवउदारवादी वैश्वीकरण एवं पूंजीवादी विकास जैसे जन विरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्षरत एवं न्यायपूर्ण एवं समतावादी समाज के लिए कार्यरत देश भर के विभिन्न जन आंदोलन एवं जनसंगठन के अलावा पारंपरिक बुनकर, मछुआरे, किसान, दलित, महिलाएं, अल्पसंख्यक आदिवासी शामिल हैं।

सम्पर्क पताः संघर्ष 2010, द्वारा जंगपुरा बेसमेंट, मथुरा रोड, नयी दिल्ली – 110014
फोनः 011–26680883/26680914 मधुरेश कुमार (9818905316), बिपिन चन्द्र (9868807129); ईमेलः action2007@gmail.com